न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 17/2022
दायर दिनांक : 06/04/2022
निर्णय दिनांक : 27/04/2022

उनवान

1. नन्दलाल पिता भग्गा रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. नारायणी पत्नी सोला रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. बाबरू पिता सोला रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. बालू पिता सोला रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. रामी पुत्री सोला रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. लच्छीराम पिता डालू रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. चम्पालाल पिता खेमा रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. हीरालाल मुतबन्ना चैना रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. छोगा पिता गिरधारी बड़वा निवासी रायपुरिया कलां तहसील भूपालसागर
4. रविन्द्र पिता धूलसिंह बडवा निवासी रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर
5. सेतु पुत्र धूलसिंह बडवा निवासी रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 5उपस्थित व पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया, शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, बार–बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटवार हल्का **रायपुरियाकलां** तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या **1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 रकबा क्रमशः 0.13, 0.13, 0.21, 0.01, 0.18, 0.20, 0. 27, 0.27, 0.38 कुल 1.78** हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क [illegible] विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त [illegible] साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.05.02 10:50:50 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)